न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–29/2011/टोंक (2011/00005)

1– रामभजन पुत्र बद्री
2– मोत्या पुत्री बद्री
3– सीता पुत्री बद्री
4– राजा पुत्री बद्री
5– पालती पुत्री बद्री
6– रामनिवास पुत्र श्रीनारायण
7– छीतर पुत्र श्रीनारायण
8– सावती पुत्री श्रीनारायण
9– फूला पत्नी श्रीनारायण
समस्त जाति मीणा, निवासीगण नवाबपुरा तहसील व जिला टोंक

– अपीलान्टस

बनाम

1– राजाराम पुत्र रामनिवास़
2– गंगाराम पुत्र रामनिवास
3– प्रहलाद पुत्र रामनिवास
4– श्योदास पुत्र रामनिवास
5– सुन्दर पुत्री रामनिवास
6– भूरी पुत्री रामनिवास
समस्त जाति मीणा, निवासीगण नवाबपुरा तहसील व जिला टोंक
7– रामफूल पुत्र बालू
8– रामप्रसाद पुत्र बालू
9– रामबाई बेवा बालू
10– पोखर पुत्र बालू
11– हेमा पुत्र बालू
12– प्रहलाद पुत्र जगन्नाथ
13– कालू पुत्र श्योकरण
14– गंगाधर पुत्र श्योकरण
15– किशनलाल पुत्र श्योकरण
समस्त जाति मीणा, निवासीगण बैसकी तहसील उनियारा जिला टोंक
16– सूरजमल पुत्र श्रवण
17– किशनगोपाल पुत्र श्रवण
18– रामकिशन पुत्र श्रवण
19– सीताराम पुत्र झीता
20– कंचन पुत्री झीता
21– शांति पुत्री झीता
22– जानकी पुत्री झीता

23– शंकरी पुत्री झीता .
24– रामसहाय पुत्र रामचन्द्रा
25– गुलाब पुत्री रामचन्द्रा
26– कस्तूरी पुत्री रामचन्द्रा
27– रामकिशोर पुत्र श्रीकिशन
28– धोली पत्नी रामफूल
29– रमेश पुत्र रामफूल
30– बजरंगा पुत्र श्रीकिशन
31– मोहन पुत्र श्रीकिशन
32– धोली पुत्री श्रीकिशन
33– चैना पुत्री श्रीकिशन
34– मोरपाल पुत्र शंकर
36– पांचू पुत्र शंकर
37– धनपाल पुत्र शंकर
38– प्रसादी पुत्र शंकर
39– भूरी पुत्री शंकर
40– मोहन पुत्र भूरा
समस्त जाति मीणा, निवासीगण नवाबपुरा तहसील व जिला टोंक
41– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, टोंक

रेस्पोडैन्टस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक दिनांक 27.08.2010 प्रकरण संख्या /2010 .

उपस्थितः–

1. श्री गिरीश शर्मा, वकील अपीलांट्स ।
2. रेस्पोडेंट सं0 1 एवं 40 अनुपस्थित ।
3. राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– .....

दिनांक :– .....

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 23.5.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस ने अपील में गणेश पुत्र रामा के पुत्रान रामनिवास, रामफूल एवं बद्री का सजरा खानदान दर्शाते हुए कथन किया कि मौजा नवाबपुरा तहसील व जिला टोंक में अवस्थित खाता संख्या 86 के आराजी खसरा संख्या 371 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खाता संख्या 76 खसरा संख्या 78 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, खाता संख्या 74 खसरा संख्या 16, 26, 79, 120, 309, 387 व 304 किता 7 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा एवं खाता संख्या 66 खसरा संख्या 18, 50, 66, 67, 100, 165, 211, 319, 320, 364 किता 10 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा अपीलान्टस एवं रेस्पों संख्या 1 ता 11 की संयुक्त पैतृक आराजीयात हैं । जिनका उल्लेख अपील के साथ सलगंन शिड्यूल अ, ब, स, द में किया गया हैं। अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 9 जो कि मूल खातेदार गणेश पत्र रामा के स्वर्गीय पुत्र केला के वंशज, उत्तराधिकारी एवं वारिस है। अपीलान्टस एवं रेस्पो. संख्या 1 लगायत 10 का संयुक्त पैतृक आराजीयात खसरा संख्या 78, 16, 26, 79, 120, 309, 387, 304, 18,50, 66,67,100, 166, 211, 319, 320 व 364 स्थित नवाबपुरा उक्त भूमि अपीलान्ठस व रेस्पो. संख्या 1 लगायत 10 के पूर्वज गणेश पुत्र रामा की मूल खातेदारी में थी । अपीलान्टस एवं रेस्पो. संख्या 1 लगायत 10 अपील में दर्शाये गये सजरे के अनुसार मूल खातेदार मृतक गणेश पुत्र रामा के वारिसान है । xx

2- अपीलान्टस ने अपील में आगे यह कथन किया कि अपीलान्टस के पूर्वज स्व. केला व रेस्पों. संख्या 1 लगायत 10 के पूर्वज रामनिवास व बालू स्वर्गीय गणेश पुत्र रामाके जाइन्दा पुत्र होकर आपस में सगे भाई थे । गणेश के स्वर्गवास के बाद राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा गणेश की फोती का नामान्तरकरण तस्दीक करते समय रामनिवास व बालू का नाम ही राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया तथा केला के नाम का अंकन होने से रह गया चूँकि केला एक अनपढ़ व्यवित था और उसे व उसके वारिसान को कभी भी इस बात की जानकारी नहीं हो सकी कि उनका नाम खातेदारी में अंकित नहीं है। रेस्पोडैन्टस के द्वारा भी कभी भी अपीलान्टस को उनके हिस्से के अनुसार फसल को प्राप्त करने से कभी भी मना नहीं किया ओर हिस्सा प्राप्त करने में कभी भी कोई अड़चन ही नहीं की गई किन्तु अभी कुछ दिनों से खातेदारी में केला व उसके वारिसान का नाम अंकित नहीं होने के कारण से रेस्पो. संख्या 1 लगायत 10 अपीलान्ट्स को उनके पूर्व कब्जे काश्त में चली आ रहे हिस्से की भूमि पर काश्त करने से रोकने लगे व बेदखल करने पर आमादा हुये जबकि अपीलान्ट्स व रेस्पो. संख्या । लगायत 10 का उक्त विवादीत आराजीयात में बहिस्सा हक बराबर है। अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 13.08.1952 के विरूध्द विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर उसे निरस्त करने की प्रार्थना की एवं नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 13.8.1952 के बाद बालू के फोत हो जाने के बाद में दिनांक 21.11.1981 को बालू के वारिसान के नाम फोती का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया व इसी प्रकार रामनिवास की मृत्यु दिनांक 24.10.89 फोत होने पर उसके

वारिसान के हक में फोती का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया जिनको भी निरस्त किये जाने की प्रार्थना की । xx

3- विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टस को नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडैन्ट्स के बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ली जाकर अपीलान्टस की एकपक्षीय बहस सुनकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 27.8.2010 के द्वारा अपीलान्टस द्वारा वर्तमान जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं किये जाने व अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा के लिये पृथक से प्रार्थना पत्र धारा 5 प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर अपील को मियाद बाहर मानकर अपील चलने योग्य नहीं मानकर निरस्त कर दिया । अपीलान्ट्स विद्धान उपखण्ड अधिकारी, टोंक के निर्णय दिनांक 27.8.2010 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है। xx

4- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के अनुपस्थित रहने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एक पक्षीय बहस सुनी गई । xx

5- विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को प्रार्थी के अभिभाषक ने हर तारीख पेशी पर टोंक आने की आवश्यक नहीं है, के लिए कहा था। प्रार्थी अपने प्रकरण संबंधित जानकारी हेतु दिनांक 26.11.10 को टोंक गया तो जानकारी करने पर अभि0 ने अवगत कराया कि प्रकरण का निर्णय दिनांक 27.08.10 को ही हो गया, जिसकी नकल अभि0 द्वारा पूर्व में दिनांक 27.10.10 को प्राप्त कर ली थी। दिनांक 26.11.10 को प्रार्थी ने अभि0 से नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील पेश करने हेतु निवेदन किया। अपील दिनांक 29.11.10 को पेश की गई क्योंकि दिनांक 27 व 28.11.10 को अवकाश होने से अपील पेश नहीं की जा सकी। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । xx

6- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि यह हैं कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक का निर्णय दिनांक 27.8.2010 व नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 13.08.1952 विरूध्द न्याय, नियम एवं कार्यवाही मिसल के होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद बाहर मानकर निर्णय जेर अपील पारित करने में भारी भूल की हैं । नामातरकरण संख्या 4 दिनांक 13.08.1952 विवादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति होने के कारण गणेश पुत्र रामा के फोतगी के बाद स्वीकार किया गया था। पैतृक सम्पत्ति में अपीलान्टस के दादा केला का रामनिवास व बालू के साथ–साथ बहिस्सा बराबर हक था। मृतक केला का भी नामान्तरकरण में नाम उनके भाई रामनिवास व बालू के साथ–साथ दर्ज होना चाहिए था लेकिन बिना किसी

कारण के केला का नाम दर्ज नहीं किये जाने के कारण उक्त नामान्तरकरण मूलतः क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर स्वीकार किया गया था । जहां क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर यदि कोई आदेश पारित किया जाता हैं तो ऐसे आदेशों को चुनोति दिये जाने के लिये मियाद का तकनिकी बिन्दु आड़े भी नहीं आता । द्वितीय जब अपीलान्टस की अपील को दर्ज रजिस्टर कर लिया गया तो अपील को मियाद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिये कमीपूर्ती में रखी जाकर अपीलान्ट को पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की न्यायालय द्वारा हिदायत दी जा सकती थी लेकिन विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की बिना हिदायत दिये अपील को मियाद बाहर मानकर निरस्त कर दिया जिसका क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं था । इस दृष्टिकोण से विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मियाद के बिन्दु पर निरस्त योग्य हैं । xx

7- विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने वर्तमान जमाबन्दी पेश नहीं की और ना ही खसरा गिरदावरी पेश की हैं की फाइडिंग देकर अपील को निरस्त करने में अपने क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया हैं क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 13.08.1952 को निर्णित किये जाने के लिये वर्तमान जमाबन्दी व खसरा गिरदवरीयों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी । रेस्पो. बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये तथा ना ही अपीलान्टस द्वारा अपील में कहे गये कथनों का खण्डन ही किया गया । गुणावगुण पर प्रकरण को गलत आधारों पर निर्णित कर जो निर्णय पारित किया गया हैं वह भी गलत कयासी आधारों पर होने से निरस्त करवाये जाने योग्य हैं । xx

8- विद्वान वकील अपीलांटस ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि अधि0न्याया0 विद्वान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपीलान्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी बंदोस्त हैदर साहब सन् 1942 मौजा नाबपुरा तहसील सदर परगना रियासत टोंक खाता संख्या 34, 35, 36 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032–35, नकल खसरा भू–प्रबन्ध आदि प्रस्तुत कर सिद्ध कर दिया था कि विवादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार गणेश पुत्र रामा थे जिनका स्वर्गवास होने के .बाद विवादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति होने के कारण उनके तीनों पुत्रों के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना चाहिए था लेकिन तीनों पुत्रों के नाम नामान्तरकरण स्वीकार नहीं कर दो पुत्रों के नाम फोतगी, उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया जो प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारीयों की भूल रही हैं । वर्तमान में अपीलान्टस अपने हिस्से की आराजी पर मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं । अपीलान्टस के पिता के नाम नामान्तरकरण गलती से स्वीकार नहीं किया गया था। रेस्पो. ने भी अपीलान्टस के दादा केला को मृतक गणेश पुत्र रामा का पुत्र होने से इन्कार नहीं किया हैं तथा ना ही ऐसी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध थी । विद्वान उपखण्ड अधिकारी जी को प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णित प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पारित करना था लेकिन विद्वान उपखण्ड अधिकारी जी ने विवादास्पद हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी,

गिरदावरीयां प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर अपील को निरस्त कर दिया जो निर्णय पूर्णतया अपूर्ण होने से निरस्त करवाये जाने योग्य हैं । xx

9- विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने अपील को दर्ज रजिस्टर कर लिया था। अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने के बाद मियाद के बिन्दु पर अपील को निरस्त भी नहीं किया जा सकता। द्वितीय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने गुणावगुण पर प्रकरण को देखा हैं । जहां प्रकरण को गुणावगुण पर देखा जा रहा हैं वहां अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त नहीं किया जा सकता । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने अपने अस्पष्ट कारण रहित नोन स्पीकिंग निर्णय से अपील को निरस्त कर भी एक प्रकार से अपने क्षैत्राधिकार को काम में नहीं लिया हैं । अतः श्रीमान से प्रार्थना हैं कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार फरमाये तथा प्रकरण बाद जांच नामान्तरकरण कार्यवाही हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में RRT 2006-07 (Supp.) P-371, RRT 2002 (1) P-648, RRT 2010 (2) P-1306, RRT 2009 (1) P-467, RRD 1993 P-411, के न्यायिक दृष्टांत पेश किये । xx

10- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है । xx

11- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अपीलांटस ने अधि0न्याया0 विद्वान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपीलान्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी बंदोस्त हैदर साहब सन् 1942 मौजा नाबपुरा तहसील सदर परगना रियासत टोंक खाता संख्या 34, 35, 36 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032–35, नकल खसरा भू–प्रबन्ध आदि प्रस्तुत कर सिद्ध कर दिया था कि विवादग्रस्त आराजी श्री गणेश पुत्र रामा की खातेदारी की है किन्तु अपीलांट संख्या 1 से 9 यह साबित नहीं कर पाये कि स्व0 केला गणेश पुत्र रामा का वारिस है एवं मूल खातेदार गणेश पुत्र रामा के उत्तराधिकारी एवं वारिसान है। प्रश्नगत इन्तकाल वर्ष 1952 के पश्चात वर्ष 1981 व 1989 में भी इसी आराजी के विरासतन इन्तकाल दर्ज हुए है। इतनी लम्बी अवधि अर्थात लगभग 58 वर्ष तक अपीलांटस को अपने नाम खातेदारी में नहीं होने का पता नहीं लगना, संदेहास्पद है क्योंकि वर्ष 1952 से लगान माफी तक राजस्व लगान (बिगौडी) जमा नहीं करवाना, अपीलांटस व इनके दादा स्व0 केला को खातेदारी में नाम अंकित नहीं होने का ज्ञान होने के तथ्य को जाहिर करता है। इस प्रकार वर्ष 1952 में दर्ज इन्तकाल में गलती की जानकारी होने की विधिक उपधारणा की जा सकती है। इतनी लम्बी अवधि के बाद इन्तकाल को चुनौती के देने का युक्तियुक्त कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा भूमि पर काबिज काश्तकार अपना लगान जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त करते थे एवं खसरा

गिरदावरी में भी लगान माफी तक काश्तकार का नाम उनके नाम दर्ज किये जाते थे। अपीलांट्स ने न तो लगान की रसीदें प्रस्तुत की ना ही तत्समय की खसरा गिरदावरी साक्ष्य के रूप में पेश की जिससे यह साबित हो सके कि अपीलान्ट्स के दादा केला मृतक गणेश पुत्र रामा के पुत्र थे।

12- राज0 भू–राजस्व अधिनियम वर्ष 1956 में लागू हुआ। अपीलांट्स ने वर्ष 1952 में दर्ज हुए नामान्तरकरण को वर्ष 2010 में चुनौती दी है। अपीलांट्स ने अपने साक्ष्य में अधी0न्याया0 एवं न्यायालय हाजा के समक्ष प्रमाणित सजरा एवं विवादास्पद आराजीयात का हाल राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी, गिरदावरीयां प्रस्तुत नहीं की है। अपीलांट्स दस्तावेजी साक्ष्यों से अपनी अपील को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । नामान्तरकण कार्यवाही तो मात्र FISCAL PROCEEDIGNG है। जिसमे किसी व्यक्ति को हक, अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपीलांट्स को अपने हक, अधिकारों के लिए सक्षम न्यायालय में अधिकारों की घोषणा हेतु नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत किया जाना था। अधी0न्याया0 के उक्त निर्णय में हमें कोई हस्तक्षेप करने का कोई विधिक कारण प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2010 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 29/2011 (2011/00005) बउनवानी रामभजन व अन्य बनाम राजाराम व अन्य को खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा प्रकरण संख्या /2010 बउनवान रामभजन व अन्य बनाम राजाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2010 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.01.17 16:30:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: